छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

षष्ठम् विधान सभा पंचम सत्र अंक-03

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 27 फरवरी, 2025

(फाल्गुन 8, शक संवत् 1946)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 (कुल 10) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 34 तारांकित एवं 59 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. बहिर्गमन

(तारांकित प्रश्न संख्या 09 पर चर्चा के दौरान श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।)

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री केदार कश्यप, सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार :-

(i) छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मार्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2023-24, तथा

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम का अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22,

पटल पर रखे ।

4. पृच्छा

शून्यकाल के दौरान सर्वश्री ब्यास कश्यप, लालजीत सिंह राठिया सदस्य ने अपने-अपने क्षेत्र से संबंधित विविध विषयों के संबंध में आसंदी का ध्यानाकर्षित किया।

5. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, उमेश पटेल, श्रीमती शकुन्तला सिंह पोर्ते, सदस्य ने प्रदेश में राजस्व मामले लंबित होने की ओर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री टंकराम वर्मा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(2) श्री ओंकार साहू, सदस्य ने जिला चिकित्सालय धमतरी में व्याप्त अव्यवस्था की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

6. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267- क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गई :-

1. श्री अजय चन्द्राकर
2. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल
3. श्रीमती अनिला भेंड़िया
4. श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते
5. श्री कुंवर सिंह निषाद

7. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

गैर सरकारी सदस्यों के निधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन

श्री विक्रम उसेण्डी, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 28 फरवरी, 2025 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है:-

अशासकीय संकल्प क्रं.	सदस्य का नाम	समय
1. (क्रमांक - 07)	श्री धर्मजीत सिंह	30 मिनट
2. (क्रमांक - 06)	श्री रिकेश सेन	30 मिनट
3. (क्रमांक - 04)	श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल	30 मिनट

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

8. माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव के संबंध में श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से माननीय सदस्य का भाषण पूर्ण होने तक भोजनावकाश के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

(1.54 बजे से 3.00 बजे तक भोजनावकाश हेतु अंतराल)

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए।)

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर निम्नलिखित सदस्यों के संशोधन प्रस्तुत हुए:-

डॉ. चरणदास महंत, श्रीमती अनिला भेंडिया, सर्वश्री लखेश्वर बघेल, भोलाराम साहू, श्रीमती अंबिका मरकाम, श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, श्री कुंवर सिंह निषाद, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, ।

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव व संशोधनों पर एक साथ चर्चा होगी ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्रीमती अनिला भेंडिया, सर्वश्री धर्मजीत सिंह, उमेश पटेल

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

श्रीमती गोमती साय,

(सभापति महोदय (सुश्री लता उसेण्डी) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री विक्रम मण्डावी, गुरु खुशवंत साहेब, रामकुमार यादव

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की ।)

सर्वश्री प्रबोध मिंज, कुंवर सिंह निषाद,

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

श्रीमती चातुरी नंद

सायं 6.16 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 28 फरवरी, 2025 (फाल्गुन 9, शक संवत् 1946) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा